

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द (31213) जिला राजसमन्द
– प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अफजल अली पुत्र मुश्ताक अली पता :- चान्दपोल गेट बहार, सन्तोष नगर, वार्ड न. 25, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) 313324
2. मुश्ताक अली पुत्र वजीर अली पता :- चान्दपोल दरवाजे के बहार, रामदेव मन्दिर के पास, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) 313324

– अप्रार्थीगण/ऋणी/जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 13/2024

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
दिनांक 02.05.2024	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक बैंक ने ऋणी अफजल अली पुत्र मुश्ताक अली को रूपये 11,95,000/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- अचल सम्पत्ति :- आवासीय सम्पत्ति जो भूमि एवम भवन, जो आरजी न. 97, प्लाट न. 12, ग्राम तरसींगड तहसील एवं जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो अफजल अली पुत्र मुश्ताक अली के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1590.00 वर्ग फिट है जिसके पड़ोस निम्न है पूर्व – प्लाट न. 13, पश्चिम – प्लाट न. 11, उत्तर – रास्ता, दक्षिण – खुली भूमी। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.11.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उक्त ऋण बाबत दिनांक 07.12.2022 को एक मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित</p>	



bell

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि रूपये 4,49,193/- रु. दिनांक 06.12.2022 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। तथा संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 07.12.2022 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक :- अचल सम्पत्ति :- आवासीय सम्पत्ति जो भूमि एवम भवन, जो आरजी न. 97, प्लॉट न. 12, ग्राम तरसींगड तहसील एवम जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो अफजल अली पुत्र मुश्ताक अली के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1590.00 वर्ग फिट है जिसके पड़ोस निम्न है पूर्व में - प्लॉट न. 13, पश्चिम - प्लॉट न. 11, उत्तर - रास्ता, दक्षिण - खुली भूमी।

उपरोक्त अचल सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



halko
(भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद